



फर्द अहकाम

कमलेश कुमावत वगै० बनाम मंगलचन्द वगै०

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या... 34/2024/414

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से   | विशेष विवरण  |
|----------|---------------------------|--|--|
|          | 18.06.2024                | <p>यह वाद पत्र वकील वादी श्री अंकित दाधीच ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर एडी जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/> <b>फागी, जिला-दुर्ग</b> </p> <p>पत्रावली पेश हुई है पीएलओ राहव वकील श्री अशोक प्रेममरुप अत्र राज नाम में अत्र है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/8/24 से पत्रावली पेश की को पेश है।</p> <p>22/8/24</p> <p>28/8/24 पत्रावली आज वकील वादी द्वारा पत्रावली विद्वा किचे जाने वाकत पत्र पेश करने पर तलब की गई। वादी स्वयं उपस्थित आया। वकील वादी ने वादी की पहचान की। एवं अपने हस्ताक्षर अंकित किचे। विद्वा प्रार्थना पत्र में बताया कि फसकारान के मध्य बधामी राजीनामा है - युका है इसलिए वादीगण उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विद्वा करने हेतु अपनी सहमती दी है। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन करने पर पाया कि वाद धोषणा, तस्लक एवं स्वार्थ निषेधाज्ञा का है अतः वादीगण का वाद विद्वा पत्र के आधार पर विद्वा कर खारिज किया जाता है पत्रावली क्रमल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।</p> | <p>विशेष विवरण</p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>कमलेश</b><br/> <b>कुमावत</b><br/> <b>उप. अ. फागी</b><br/> <b>28/8/2024</b> </p> |